राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–26 / 2023
कुसुम कुमारी बनाम् मंजू देवी
वाद संख्या–46 / 2023
राजेश कुमार बनाम् मंजू देवी

यह वाद श्री राजेश कुमार, पिता–श्री कृष्णा प्रसाद यादव, पता–ग्राम–मोहनपुर, वार्ड संख्या–14, नगर पंचायत, नालन्दा, पोस्ट+थाना–नालन्दा, **जिला–नालन्दा** तथा श्रीमती कुसुम कुमारी (kusumkkri@gmail.com) नगर पंचायत, नालन्दा, वार्ड संख्या–14, प्रखण्ड–सिलाव, **जिला–नालन्दा** द्वारा श्रीमती मंजू देवी, पति–श्री लाल बहादुर प्रसाद, पता–ग्राम–मोहनपुर, वार्ड संख्या–14, नगर पंचायत, नालन्दा, पोस्ट+थाना–नालन्दा, **जिला–नालन्दा** (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–14, नगर पंचायत, नालन्दा, **जिला–नालन्दा**) के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–14, नगर पंचायत, नालन्दा के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री राजेश कुमार केवल एक बार उपस्थित रहे। उनका वाद–पत्र विद्वान अधिवक्ता श्री अनवर करीम द्वारा दायर किया गया है। द्वितीय वादी श्रीमती कुसुम कुमारी कभी उपस्थित नहीं हुई। श्रीमती कुसुम कुमारी के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि संभवतः उनका पत्र छद्म नाम से दिया हुआ है, क्योंकि उनके परिवाद–पत्र में वर्णित पता पर कभी भी नोटिस का तामिला नहीं हुआ। इस कारण से उनके ई–मेल पर नोटिस को भेजा जाता है, **परन्तु वाद–पत्र में अंकित तथ्य तथा साक्ष्य स्वरूप संलग्न** I.P.S. Academy **के नामांकन–पंजी की छायप्रति से प्रथम दृष्ट्या मामले में संज्ञान लिये जाने का पर्याप्त आधार उपलब्ध होने पर बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए, मामले की सुनवाई की गयी।**

प्रतिवादी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वनाथ प्रसाद द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **नालन्दा** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री अवधेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, **नालन्दा** को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में प्रतिवादी के उपर यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी को कुल 07 संतान है, जिसमें से 02 संतान, मोहित भारद्वाज एवं पूजा कुमारी का जन्म–04.04.2008 के उपरांत हुआ है। उनके द्वारा अपने वाद–पत्र में उल्लेखित किया गया है कि पूजा कुमारी एवं मोहित भारद्वाज I.P.S. Academy, Kapatiya, Nalanda के छात्र है, जहाँ उनकी जन्मतिथि क्रमशः दिनांक–20.06.2011 एवं दिनांक–15.03.2013 अंकित की गयी है। उनके द्वारा यह लिखित दावा किया गया है कि निरर्हता से बचने के लिए तथा चुनाव में भाग लेने हेतु उनके द्वारा तथ्यों को

छिपाकर तथा गलत जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर अपने बच्चों का नामांकन उस विद्यालय में कराया गया। वादी द्वारा अपने दावें के समर्थन में दो जन्म प्रमाण–पत्र संलग्न किये गये हैं, जिसमें एक जन्म प्रमाण–पत्र में बच्चें का नाम मोहित भारद्वाज, माता का नाम–मंजू देवी, पिता का नाम–लाल बहादुर प्रसाद तथा जन्मतिथि–30.01.2008 अंकित है, जबकि पंजीकरण संख्या–B-2022:10-06205-000249, दिनांक–09.09.2022 अंकित है। दूसरे जन्म प्रमाण–पत्र में बच्चें का नाम–मोहित, माता का नाम–मंजू देवी, पिता का नाम–लाल बहादुर प्रसाद तथा जन्मतिथि–30.01.2008 अंकित है, जबकि पंजीकरण संख्या–64, दिनांक–10.07.2012 अंकित है। उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि मोहित का जन्म, दिनांक–04.04.2008 के उपरांत हुआ है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के कुल–07 संतान है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा अपने नामांकन–पत्र में किया गया है, परन्तु उनके किसी भी संतान के जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत की नहीं है। अतः वादी का दावा मिथ्या एवं गलत साक्ष्यों पर आधारित है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि Matriculation में अंकित जन्मतिथि आयु निर्धारण में सर्वाधिक मान्य साक्ष्य है। उनके द्वारा अपने मुवक्किल के बचाव में साक्ष्यों को संलग्न किया गया है, जो निम्न तालिका के अनुसार है।

क्र0सं0	संतान का नाम	जन्मतिथि	जन्मतिथि का आधार	Matriculation प्रमाण–पत्र संख्या	जन्म प्रमाण–पत्र संख्या/आधार संख्या
01.	सपना कुमारी	15.03.1998	Matriculation	0794876 / 05.06.2013	9988 6424 5945
02.	प्रीति कुमारी	15.01.2001	Matriculation	0945186 / 29.05.2016	6188 0641 6957
03	निधि कुमारी	20.02.2002	Matriculation	171011046928 / 22.06.2017	4649 6449 3585
04.	रोहित भारद्वाज	21.10.2004	Matriculation	720030213 / 26.05.2020	8793 7892 0772
05.	खुशी कुमारी	12.01.2005	आधार	–	7304 2322 1874
06.	पूजा कुमारी	15.01.2007	जन्म प्रमाण–पत्र / S.L.C.	3121560, 08.04.2023	5643 1149 0390 B-2022:10-06205-000072, दिनांक–30.03.2022
07.	मोहित भारद्वाज	30.01.2008	जन्म प्रमाण–पत्र	–	B-2022:10-06205-000249, दिनांक–09.09.2022

उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके मुवक्किल के सभी संतानों की जन्मतिथि Cut of date की पूर्व की है। अतः वाद को खारिज किया जाए।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–173/निर्वा0, दिनांक–03.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् है:–**

''कंडिका–01 उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नालन्दा विद्यापीठ, सिलाव, नालन्दा–छात्र मोहित भारद्वाज, (पिता–लाल बहादुर प्रसाद, माता–श्रीमती मंजू देवी, नगर पंचायत सिलाव) का उत्क्रमित

मध्य विद्यालय, नालन्दा विद्यापीठ सिलाव में नामांकन से संबंधित अभिलेखों की जाँच से पता चलता है कि:–

(i) छात्र मोहित भारद्वाज का नामांकन कक्षा आठ में दिनांक–03.06.2023 को हुआ। विद्यालय में नामांकन के लिए संलग्न कागजातों में मध्य विद्यालय, करियन्ना, सिलाव से दिनांक–10.04.2023 को निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र संख्या–1788443, SBI-Kiosk Banking का पहचान–पत्र एवं छात्र मोहित भारद्वाज के आधार कार्ड की छायाप्रति पाया गया।

(ii) उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नालन्दा विद्यापीठ, सिलाव की उपस्थिति–पंजी में छात्र का नाम मोहित कुमार अंकित था, जिसमें कुमार को काटकर भारद्वाज दर्ज किया गया है।

(iii) सत्र 2023–24 में कक्षा आठ की उपस्थिति–पंजी में पाया गया कि छात्र मोहित भारद्वाज का नाम वर्ग शिक्षक (Class Teacher) द्वारा नहीं लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक माह के लिए आवंटित पृष्ठ के अन्त में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाद में मोहित भारद्वाज का नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि यह उपस्थिति–पंजी के अन्य छात्रों के लिखे गए नामों के Hand Writing से मेल नहीं खाता है।

(iv) छात्र मोहित भारद्वाज को कक्षा आठ उत्तीर्ण करने के उपरांत दिनांक–09.04.2024 को विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया, जिसमें विद्यालय में प्रवेश की तिथि–03.06.2023, विद्यालय परित्याग की तिथि–31.03.2024 एवं कुल उपस्थिति 244 दिन अंकित है। प्रगति पत्रक के अनुसार छात्र मोहित कुमार अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक में कुल 194 एवं उपस्थिति–पंजी के अनुसार 76 दिन उपस्थित हुआ। प्रगति पत्रक के छात्र मोहित भारद्वाज की उपस्थिति अप्रैल, 2024 से दर्ज है, जबकि विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र में प्रवेश की तिथि–03.06.2023 अंकित है। स्पष्टतः दोनों में भिन्नता है।

(v) नामांकन के समय समर्पित मध्य विद्यालय, करियन्ना, सिलाव से निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण– में कक्षा–01 में प्रवेश की तिथि–10.03.2013 एवं कक्षा सात उत्तीर्ण के उपरांत विद्यालय परित्याग की तिथि–31.03.2023 अंकित है, अर्थात् छात्र को कक्षा 01 से 07 तक पास करने में 10 वर्ष लगे यह संदेह उत्पन्न करता है।

''**कंडिका–02– मध्य विद्यालय करियन्ना, सिलावः–** मध्य विद्यालय करियन्ना, सिलाव के प्रधानाध्यापक से छात्र मोहित भारद्वाज (पिता–लाल बहादुर प्रसाद, माता–श्रीमती मंजू देवी) के विद्यालय में नामांक से संबंधित अभिलेखों/कागजातों तथा निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण–पत्रों की पंजी की माँग की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि यह छात्र मोहित भारद्वाज (पिता–लाल बहादुर प्रसाद, माता–श्रीमती मंजू देवी) कभी उनके विद्यालय के छात्र रहे हीं नहीं है तथा प्रस्तुत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र उनके विद्यालय से निर्गत नहीं है। प्रस्तुत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र पर किया गया हस्ताक्षर भी उनका

नहीं है। विद्यालय स्थानान्तरण–पत्र पर अंकित विद्यालय कोड भी गलत है तथा यह विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र फर्जी है। मध्य विद्यालय करियन्ना, सिलाव के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के छायाप्रति पर तत्संबंधी प्रमाण–पत्र अंकित किया गया है।

''**कंडिका–06–** I.P.S. Academy, Kapatiya, Nalanda:- I.P.S. Academy, सिलाव के प्रधानाध्यापक द्वारा बतलाया गया कि उनके विद्यालय में छात्र मोहित भारद्वाज का नामांकन करवाने के लिए छात्र के पिता– श्री लाल बहादुर प्रसाद दिनांक–06.03.2021 को आये थे तथा उनके द्वारा 2,000/–(दो हजार) की राशि जमा की गयी थी। छात्र के पिता द्वारा कोई आवेदन–पत्र नहीं दिया गया और न ही कोई अन्य दस्तावेज उनके विद्यालय में जमा किया गया था। पंजी में प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र का नाम एवं जन्मतिथि वही अंकित किया गया था, जो छात्र के पिता द्वारा कहा गया था। वह समय कोविड महामारी का था। इसलिए उस अवधि की उपस्थिति–पंजी संधारित नहीं है। छात्र लगभग एक डेढ़ माह विद्यालय में उपस्थित रहा। छात्र मोहित भारद्वाज किस कक्षा में पढ़ रहा था, यह कहीं दर्ज नहीं है, परन्तु विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बतलाया गया कि छात्र कक्षा 4 या 5 का विद्यार्थी था I.P.S. Academy, सिलाव के छात्र मोहित कुमार के नामांकन से संबंधित पंजी एवं प्रधानाध्यापक के लिखित बयान की प्रति संलग्न।

उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि छात्र मोहित भारद्वाज के नामांकन में फर्जीवाड़ा किया गया तथा फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण–पत्र नगरपालिका चुनाव के समय बनवाया गया।''

6. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–173/निर्वा0, दिनांक–03.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये, प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, तो यह पाया गया कि प्रतिवेदन में अंकित तथ्य प्रतिवादी के साँतवें पुत्र मोहित भारद्वाज के संबंध में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत करते है कि उनका जन्म Cut of Date-04-04-2008 के उपरांत हुआ है। प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में जो भी साक्ष्य दिये गये है, उनका आधार (Basis) **मध्य विद्यालय करियन्ना सिलाव से निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र है, जो कि सत्यापन में फर्जी पाया गया है।**

रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अनुदेश अंकित किया गया है कि आयोग के समक्ष यदि ऐसे मामले उपस्थित हो, जिनमें Unimpeachable साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसे मामले को आयोग Fact Finding body को प्रेषित करेगा तथा Fact Finding body से प्रतिवेदन/निर्णय प्राप्त होने के उपरांत आयोग वाद का निष्पादन करेगा। विचाराधीन वाद के अंतिम निष्पादन हेतु प्रतिवादी के अंतिम पुत्र श्री मोहित कुमार के आयु का निर्धारण आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आयु निर्धारण करने हेतु Fact Finding body 'मेडिकल बोर्ड' है। अतएव मोहित भारद्वाज के आयु के निर्धारण हेतु Fact Finding

body 'मेडिकल बोर्ड' भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा को जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा संदर्भित किया गया।

7. 'मेडिकल बोर्ड' भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा से प्राप्त प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा पत्रांक–65/निर्वा0, दिनांक–20.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

पाँच सदस्यीय 'मेडिकल बोर्ड' द्वारा दिनांक–16.01.2026 को मोहित कुमार/भारद्वाज के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है, जो निम्नवत् है:–

"After general Physical, dental and radiological examination, we are of the openion that the age of the subject is between 16-17 years (Sixteen to Seventeen years."

8. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा का प्रतिवेदन अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी को कुल 07 संतान है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा स्वयं अपने नामांकन–पत्र में किया गया है। उनके द्वारा IPS Academy में स्वयं अपने दो बच्चों पूजा कुमारी एवं मोहित भारद्वाज का नामांकन कराया गया, जिसमें उनके द्वारा स्वयं उनकी जन्मतिथि क्रमशः दिनांक–20.06.2011 तथा दिनांक–15.03.2013 दर्ज कराया गया है। आगे उनके द्वारा बचाव में समर्पित किये गये मध्य विद्यालय करियन्ना, सिलाव से निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र को फर्जी पाया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। उनके द्वारा दिये गये, साक्ष्य भी फर्जी पाये गये, या उक्त फर्जी स्थानान्तरण–पत्र के आधार पर निर्गत कराये गये हैं, अतः उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उक्त स्थिति में उनके अंतिम संतान श्री मोहित कुमार उर्फ मोहित भारद्वाज के जन्मतिथि के संबंध में अस्पष्टता रहने के कारण रजनी कुमारी वाद के आलोक में मामले को Fact Finding body 'मेडिकल बोर्ड' को संदर्भित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष–2026 में इनकी आयु 16 से 17 वर्ष निर्धारित की गयी है। निर्धारित आयु के अनुसार उनके अंतिम संतान का जन्म वर्ष–2009 अथवा 2010 हो सकता है, जो कि Cut of date-04.04.2008 के उपरांत है। अतः प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी का अंतिम संतान Cut of date-04.04.2008 के उपरांत ही पैदा हुआ है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती मंजू देवी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करती थी, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार

पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–14, नगर पंचायत नालन्दा, जिला–नालन्दा के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती मंजू देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–14, नगर पंचायत नालन्दा, जिला–नालन्दा के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–14, नगर पंचायत नालन्दा, जिला–नालन्दा का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, नालन्दा को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती मंजू देवी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से आयोग को 04 सप्ताह के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
22.10.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
22.10.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–26 एवं 46/2023 /4127 पटना, दिनांक– 22/10/2026

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–26 एवं 46/2023 /4127 पटना, दिनांक– 22/10/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा को सूचना एवं आवश्यक0 कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–26 एवं 46 / 2023 /4127 पटना, दिनांक– 22/10/2026

प्रतिलिपि– वादी श्री राजेश कुमार, पिता–श्री कृष्णा प्रसाद यादव, पता–ग्राम–मोहनपुर, वार्ड संख्या–14, नगर पंचायत, नालन्दा, पोस्ट+थाना–नालन्दा, **जिला–नालन्दा** तथा श्रीमती कुसुम कुमारी (kusumkkri@gmail.com) नगर पंचायत, नालन्दा, वार्ड संख्या–14, प्रखण्ड–सिलाव, **जिला–नालन्दा** प्रतिवादी श्रीमती मंजू देवी, पति–श्री लाल बहादुर प्रसाद, पता–ग्राम–मोहनपुर, वार्ड संख्या–14, नगर पंचायत, नालन्दा, पोस्ट+थाना–नालन्दा, **जिला–नालन्दा** (पदमुक्त वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–14, नगर पंचायत, नालन्दा, **जिला–नालन्दा**) को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–26 एवं 46 / 2023 /4127 पटना, दिनांक– 22/10/2026

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर / श्री वैष्णो कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त